



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

पत्रांक 927 / 24 अ. 5. / 15

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड

फैक्स / मेल



E-Mail - eicpwduk@nic.in


देहरादून, दिनांक 19 अगस्त, 2015

: परिपत्र :

Standard Bid Document के Section-6 General Condition of Contractor के क्लॉज-13 में Insurance का प्राविधान है। परन्तु प्रायः यह देखा जा रहा है कि किसी भी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ताओं द्वारा इस क्लॉज का अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। अतः कार्यो को सुचारु रूप से पूर्ण कराये जाने हेतु यह आवश्यक है कि फर्म/टेकेदार द्वारा उक्त क्लॉज का अनुपालन किया जाय।


अतः निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त क्लॉज के अनुपालन न कराये जाने पर कार्य पूर्ण न होने के कारण या अन्य कारणों से शासन को किसी प्रकार की वित्तीय हानि होती है तो इस हेतु अनुबन्ध गठित करने वाले अधिकारी का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

अतः उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जाना सुनिश्चित कराया जाय।


(एच०के० उप्रती)
प्रमुख अभियन्ता
19/8/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मुख्य अभियन्ता (सिविल/रा०मा०/ए०डी०बी०/पी०एम०जी०एस०वाई०/आपदा/वर्ल्ड बैंक), लोक निर्माण विभाग, देहरादून/पौड़ी/टिहरी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/वरिष्ठ स्टाफ आफिसर- I/ II, विभागाध्यक्ष कार्यालय।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधिशाली अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. श्रीमती रचना थपलियाल, प्रभारी अधिशाली अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय को Web-Site पर अपलोड किये जाने हेतु।
7. गार्ड फाइल।


प्रमुख अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग।
19/8